हिमाचल प्रदेश सदाचरण बंदी परीवीक्षात्मक रिहाई अधिनियम, 1968

धाराओं का क्रम

धाराएंः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. सरकार को अपने द्वारा अधिरोपित शर्तों पर, अनुज्ञप्ति द्वारा रिहाई की शक्ति।
4. अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रवृत्त रहेगी।
5. विष्ट अवधि की संगणना में, रिहाई की अवधि का, कारावास के रूप में संगणित किया जाना।
6. अनुज्ञप्ति का प्ररूप।
7. अुनज्ञप्ति प्रतिसंहृत करने की शक्ति।
8. रिहा फरार व्यक्तियों का जो पर्यवेक्षण से निकल भागते हैं दण्डनीय होना।
9. नियम बनाने की शक्ति।
10. निरसन और व्यावृत्ति।

हिमाचल प्रदेश सदाचरण बंदी परीवीक्षात्मक रिहाई अधिनियम, 1968

(1968 का 22)

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 जून, 1991 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में तारीख 19 सितम्बर, 1991 को पृष्ठ संख्या 2001–2005 पर प्रकाशित किया गया)

राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों पर, सदाचरण बंदियों की रिहाई का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सदाचरण बंदी परिवीक्षात्मक रिहाई अधिनियम, 1968 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं.**–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षिप्त न होः–

(क) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(ख) "अधिसूचना" से राजपत्र हिमाचल प्रदेश में उचित प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

3. **सरकार को अपने द्वारा अधिरोपित शर्तों पर, अनुज्ञप्ति द्वारा रिहाई की शक्ति.**–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 401 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति कारावास के दण्डादेश के अधीन, कारागार में रखा गया है, और सरकार को उसके पूर्ववृत्त या उसके कारागार में आचरण से यह प्रतीत हो कि सम्भाव्यतः वह अपराध नहीं करेगा और उपयोगी तथा परिश्रमी जीवन बिताएगा, यदि उसे कारगार से रिहा कर दिवा जाए तो, सरकार उसका अनुज्ञप्ति द्वारा इस शर्त पर रिहा करने की अनुज्ञा दे सकेगी कि उसको सरकारी अधिकारी या धर्मनिरपेक्ष संस्था अथवा बंदी के धर्म को मानने वाली किसी व्यक्ति या सोसाइटी के जिसका नाम अनुज्ञप्ति में लिखित है और जो उसे अपनी सुपुर्दगी में लेने के लिए रजामन्द है, पर्यवेक्षण या प्राधिकार के अधीन रखा जाए।

स्पष्टीकरणः– इस धारा में अभिव्यक्ति "कारावास का दण्डादेश" के अन्तर्गत, जुर्माने के संदाय के व्यक्तिक्रम में कारावास और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) के अध्याय 8 के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के लिए कारावास, भी है।

———————————

1. **पाद टिप्पणीः**– चूँकि अधिनियम राजभाषा में 24 जून, 1991 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 19 सितम्बर, 1991 को पृष्ठ संख्या 2001 से 2005 पर प्रकाशित किया गया।

4. **अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रवृत्त रहेगी.**—धारा 3 के उपबन्धों के अधीन की गई अनुज्ञप्ति उस तारीख तक प्रवृत्त रहेगी जब तक रिहा किया गया व्यक्ति, यदि वह अनुज्ञप्ति पर रिहा न किया गया होता, उसका कारावास प्राधिकृत करने वाले आदेश या वारण्ट के निष्पादन में कारागार से उन्मुक्त किया जाता, अथवा जब तक अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत नहीं किया जाता, इनमें से जो भी पहले हो।

5. **विष्ट अवधि की संगणना में, रिहाई की अवधि का, कारावास के रूप में संगणित किया जाना.**—वह कालावधि, जिसके दौरान कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति पर जो प्रवर्तन में है, अनुपस्थित रहता है, कारावास की अवधि को संगणना के प्रयोजन के लिए और उसके कारावास को माफ करने की मात्रा की संगणना के प्रयोजन के लिए, जो उसे ऐसे माफ करने से सम्बद्ध प्रवृत्त किन्हीं नियमों के अधीन अधिनिर्णित की जाए, उस कारावास की अवधि का भाग मानी जाएगी, जिसके लिए उसे दण्डादिष्ट किया गया था।

6. **अनुज्ञप्ति का प्ररूप.**—धारा 3 के उपबन्धों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी शर्तें होंगी जो सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अथवा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे।

7. **अुनज्ञप्ति प्रतिसंहृत करने की शक्ति.**—(1) सरकार, धारा 3 के उपबन्धों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति को, किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्धों के अधीन पारित प्रतिसंहरण आदेश में, वह तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसकी अनुज्ञप्ति का प्रवर्तन समाप्त हो जाएगा, और उस व्यक्ति पर उसकी तामील जिसको अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की गई है, ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी सरकार नियमों द्वारा विहित करे।

(3) सरकारी अधिकारी, जिसके प्राधिकार या पर्यवेक्षण के अधीन बन्दी को अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहा किया गया था, जब तक अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का आदेश पारित नहीं किया जाता, उसे ऐसे स्थान पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी सरकार द्वारा विहित की जाएं, गिरफ्तार करने और निरुद्ध रखने का आदेश कर सकेगा।

8. **रिहा फरार व्यक्तियों का जो पर्यवेक्षण से निकल भागते हैं दण्डनीय होना.**—(1) यदि कोई व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या धर्म निरपेक्ष संस्थान अथवा सोसाइटी या उस व्यक्ति के पर्यवेक्षण या प्राधिकार से जिसकी सुपुर्दगी में उसे धारा 3 के उपबन्धों के अधीन रखा गया है, निकल भागता है या यदि कोई व्यक्ति, जिनकी विधिपूर्ण हेतुक के बिना, जिसको साबित करने का भार उस पर होगा, उस कारागार में, जिससे वह रिहा किया गया था, प्रतिसंहरण आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व वापस आने में असफल रहता

है तो, ऐसा व्यक्ति मैजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (च) के अर्थ के अन्तर्गत, संज्ञेय अपराध माना जाएगा।

9. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी;—

(क) अनुज्ञप्ति का प्ररूप और शर्त जिन पर बंदी रिहा किया जा सकेगा;

(ख) उन सरकारी अधिकारियों, सोसाइटियों या व्यक्तियों की शक्तियों और कर्त्तव्यों को परिभाषित करने, जिसके प्राधिकार या पर्यवेक्षण के अधीन सशर्त रिहा बंदी को रखा जा सके;

(ग) उन अपराधियों के वर्गों को, जो सशर्त रिहा किए जा सकेंगे, और कारावास की अवधि जिसके पश्चात् वे इस प्रकार रिहा किए जा सकेंगे, परिनिश्चित करने के लिए।

(घ) साधारणता इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र में जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या उपर्युक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है तो तत्पश्चात् वह उस परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10. **निरसन और व्यावृत्ति.**—सदाचरण बंदी परिवीक्षात्मकता रिहाई अधिनियम, 1926 (1926 का 10) जो हिमाचल प्रदेश (विधियों की प्रयोज्यता) आदेश, 1948 द्वारा हिमाचल प्रदेश में लागू किया था और जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल में जोड़े गए क्षेत्रों में भी प्रवृत्त था, का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है:

परन्तु एतद्द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई जिसके अन्तर्गत मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, बनाए गए नियम, जारी की गई अधिसूचना या प्रारम्भ अथवा जारी की गई कार्यवाहियां भी हैं, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएंगी।